न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
117/2022	2022/297	12.09.2022	12.12.2022 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

मनोहरलाल पुत्र लालूराम उम्र..... साल जाति मीणा चोकीदार निवासी कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादी—

बनाम

1. श्रवण कुमार पुत्र लालूराम जाति मीणा चोकीदार निवासी कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
2. अंजू पुत्री जयचंद
3. ग्यारसी देवी पत्नी जयचंद
4. निर्दोष कुमार पुत्र जयचंद
5. प्रदोष कुमार पुत्र जयचंद
6. मंजू पुत्री जयचंद
7. रणजीत पुत्र जयचंद
8. संजीत पुत्र जयचंद

समस्त जाति मीणा निवासी कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9. राम चन्द्र सिंह पुत्र सुखा राम जाति जाट निवासी कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
10. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
11. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादीगण—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थित :–
श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री अजय कुमार हरितवाल, एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5, 7 व 8 अभिभाषक।
श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 9 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से।

वादपत्र बाबत विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2904/689, 2906/689 कुल किता– 2 कुल रकबा 1.2260 हैक्टर ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 के नाम भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार अंकित है एवं पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिक तकास्मा नही हुआ है एवं कृषि भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा दर्शित संलग्न नजरी नक्शानुसार किया हुआ है एवं इसी अनुसार मौके पर पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है इसलिए उक्त कृषि भूमि का मौके के बाहमी बंटवारा संलग्न नजरी नक्शा में दर्शितानुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर भूमि की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रैस में अलग–अलग मिन/बट्टा नम्बर डालकर दर्ज की जाकर अलग से लगान कायम किये जाने एवं वादी उक्तानुसार भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है एवं [illegible] वादी [illegible] को वादी की हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में [illegible] एवं भूमि के मौके के बाहमी बंटवारा को भंग करने एवं मनमर्जी से मनचाही जगह पर संयुक्त खातेदारी की आड में जबरन कब्जा करने एवं वादी को भूमि से बेदखल करने एवं भूमि को बिना विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

विभाजन करवाये किसी दिगर अजनबी व्यक्ति को विक्रय रहन अन्तरण करने को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 ने वादी को दिनांक 25.08.2022 को धमकी दी है कि उक्त कृर्षि भूमि के मौके के बाहमी बंटवारा को भंग करके मनमर्जी से मनचाही जगह पर कब्जा करके वादी को उसकी भूमि से बेदखल करके जबरन कब्जा करके रहेगे एवं एवं भूमि को बिना विधिक तकास्मा करवाये दिगर भू–माफिया गिरोह के लोगो को बेचान अन्तरण करके दिगर का बलात कब्जा करवाकर रहेगे एवं भूमि को खुर्द बुर्द करवाकर रहेगे इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाए ए दावा पेदा होकर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वकील वादी ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 2904/689, 2906/689 कुल किता–2 कुल रकबा 1.2260 हैक्टर ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का पक्षकारान वादी व प्रतिवादी संख्या–1 ता 9 के मध्य मौके के बाहमी बंटवारा एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार संलग्न दर्शित नजरी नक्शानुसार विभाजन करवाया जाकर भूमि की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग–अलग मिन/बट्टा नम्बर डालकर दर्ज की जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा अपने वादपत्र में किया है। वाद वास्ते विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 एंव 11 की सम्मन तामील साधारण तरीके से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की सम्मन तामील चस्पान्दगी मय दो गवाहान् के हस्ताक्षरों से होकर वापस लौटी है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 व 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5, 7 व 8 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ओर से श्री अजय कुमार हरितवाल एड0 ने जवाब दावा पेश कर अवगत कराया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान् के नाम दर्ज रिकार्ड होकर बाह्मी बंटवारा होना व उसी अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार करते हुए मौके पर काबिज काश्त अनुसार बट्टा नं. डाले जाकर तकास्मा किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए उभय पक्षकारान् को बाह्मी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त भूमि के किसी भी टुकडे पर कोई भी उपयोग–उपभोग में बाधा नही डालने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 ने जवाब दावा मय क्रॉस दावा पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा नं. 682, 683, 684, 685, 686, 688, 689 कुल किता 7 कुल रकबा 4.49 है0 का विधिक विभाजन माननीय न्यायालय हाजा के उनवानी प्रकरण छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगैरह मुकदमा नं. 127/2008 में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2021 से होकर वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के खाता संख्या नया 790 के खसरा नं. 2904/68 9 रकबा 0.1494 है0 व खसरा नं. 2906/689 रकबा 1.0766 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2260 है0 में वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तथा चावली देवी पत्नी प्रभुदयाल व रामेश्वरी देवी पत्नी बिरदुराम को शामलाती खाता जमाबंदी अनुसार मिली। जिस पर चावली देवी पत्नी प्रभुदयाल व रामेश्वरी देवी पत्नी बिरदुराम ने बैंक ऑफ बड़ौदा श्रीमाधोपुर से उक्त भूमि को राहिन रखकर लोन ले रखा था, जिसका नो–ड्यूज सर्टिफिकेट दिनांक 27.07.2022 को प्राप्त कर नामांतकरण संख्या 2491 से रहनमुक्त किया गया। उक्त दोनो खसरा नं. 2904/689 व खसरा नं. 2906/689 के मध्य गैरमुमकीन रास्ता अवस्थित है जिसके खसरा नं. 2905/689 है जिसका रकबा 0.0740 हैक्टर है। यह गै0मु0 रास्ता आम आमजन हेतु खुला है। राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा नं. 2904/689 रकबा 0.1494 है0 व खसरा नं. 2906/689 रकबा 1.0766 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2260 है0 में दिनांक 08.08.2022 को चावली देवी पत्नी प्रभुदयाल ने अपना हिस्सा 93/1226 व रामेश्वरी देवी पत्नी बिरदुराम ने अपना हिस्सा 93/1226 जरिये रजिस्टर्ड उपहार लेख/रजिस्टर्ड विक्रय लेख प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

9 को अंतरित कर दिया। जिसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 9 अपने पूर्व खातेदारों के हिस्से पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार है। माननीय हाजा के विधिक विभाजन निर्णय दिनांक 20.09.2021 के विरूद्ध वादी व इनके परिवारजन द्वारा उनवानी प्रकरण प्यारसी देवी बनाम छोटी देवी वगैरह आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत विचाराधीन है जो विधिक रूप से कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण उक्त विभाजन के साथ आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का आवेदन खारिज किया जाना न्यायोचित है। उक्त वर्णित खसरा नं. 2904/689 रकबा 0.1494 है0 व खसरा नं. 2906/689 रकबा 1.0766 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2260 है0 को चावली देवी पत्नी प्रभुदयाल हिस्सा 93/1226 व रामेश्वरी देवी पत्नी बिरदुराम ने अपना हिस्सा 93/1226 विधिवत रूप से प्रतिवादी संख्या 9 को अंतरित कर दिया तथा मौके पर जिस भू-भाग पर वे दोनों काबिज थी। उसका कब्जा प्रतिवादी नं. 9 को संभला दिया। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं. 9 के नाम दर्ज होकर खातेदार काबिज काश्तकार होने से प्रतिवादी नं. 9 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। उसकी खातेदारी प्रतिवादी नं. 9 को विधिक विभाजन से प्राप्त होना न्यायोचित है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के हक, हिस्से में अन्य सहखातेदारान द्वारा हस्तक्षेप नही किये जाने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु वाद पत्र में क्रॉस दावा (काउण्टर क्लेम) पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी नं. 9 के अलावा उक्त प्रकरण के अन्य पक्षकार वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 एक ही कुटुम्ब/परिवार के सदस्य है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का विधिक विभाजन किया जाना न्यायोचित हैं। विधिवत रूप से प्रतिवादी नं. 9 का तकारमा उसके कब्जे के अनुसार किया जाकर उसकी खातेदारी अलग से कायम की जाने हेतु सहखातेदारान को कहने पर सहखातेदार ने टहलाने की कोशिश करते हुये वादी की ओर से वाद पत्र पेश किया गया, जिसमें [illegible] गलत अंकन करते हुये नजरी नक्शा बनाकर पेश किया। [illegible] की नियत खराब होने की स्थिति सामने आने पर [illegible] अपनी खातेदारी का विधिवत तकारमा करवाना न्यायोचित होने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है तथा लगातार हो रहा है। प्रतिवादी नं. 9 की ओर से वादी के वाद पत्र का जवाब मय क्रॉस दावा पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय खर्चा खारिज किया जाकर प्रतिवादी नं. 9 का कॉस दावा (काउण्टर क्लेम) बहक प्रतिवादी नं. 9 विरूद्ध सहखातेदारान निम्न प्रकार से डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि उक्त वर्णित कृषि भूमियों में प्रतिवादी नं. 9 की खातेदारी की भूमि तकासमा में उसके कब्जे काश्त में राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के 2904/689 रकबा 0.1494 है0 सम्पूर्ण व खसरा नं. 2906/689 रकबा 1.0766 है0 में से उतरी-पश्चिमी कोने पर 0.0366 है0 भूमि बट्टा नम्बर लगाकर अलग से खातेदारी के रूप में दर्ज करवाने एंव प्रतिवादी नं. 9 की खातेदारी में दर्ज हिस्से की भूमि 0.1860 है0 भूमि की खातेदारी उक्त अनुसार दर्ज कर अलग से नक्शा ट्रेस मय इन्द्राज कर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादी नं 9 की खातेदारी से अन्य सहकाश्तकारान का नाम हजफ किया जाकर अन्य सहकाश्तकारान की खातेदारी से प्रतिवादी नं. 9 का नाम हजफ किये जाने का निवेदन अपने कॉस दावा (काउण्टर क्लेम) में प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा किया गया है।

वकील वादी ने प्रतिवादी नं. 9 द्वारा पेश प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) का जवाब पेश करते हुए अवगत कराया कि भूमि खसरा नम्बर 682 ता 686 व 688 ता 689 कुल किता 7 कुल रकबा 4.49 है0 तन् ग्राम श्रीमाधोपुर में है। वादी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 ता 8 उक्त भूमि के खसरा नम्बर 685 व 686 एवं वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2906/689 व 2904/689 व वरवक्त बुजुर्गान से काबिज थे किन्तु प्रतिवादी द्वारा बंटवारा का वाद उनवानी छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगै0 में विभाजन के समय प्रतिवादी नम्बर 9 ने वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 जो कि एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होना बताकर खसरा नम्बर 685 व 686 से अपना कब्जा हटाने के लिए कहां तो वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 जो कि कम पढ़े लिखे किसानी मजदूरी पेशा व्यक्ति है ने प्रतिव[illegible] का कहना मान लिया व अपना कब्जा खसरा नम्बर 685 व 686 [illegible] में निर्णय का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होने पर प्रतिवादीगण ने खातेदार रामेश्वरी देवी व चावली देवी के हिस्सा का विक्रय लेख अपने हक में करवा लिया जिसके आधार पर प्रतिवादी ने अब वादी की भूमि पर अपना हक अधिकार प्रकट किया है। जबकि चावली व रामेश्वरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

का वादी के कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 नजरी नक्शा में दर्शित भूमि से कोई लेना देना किसी किस्म का कभी नही रहा है। वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 ने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में संलग्न भूमि खसरा नम्बर 2904/689 व खसरा नम्बर 2906/689 पर बाजरे व ग्वार की फसल कर भूमि पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी नम्बर 9 ने वादी की मंशा जाने बतौर ही खसरा नम्बर 2905/689 का गैरमुमकिन रास्ता कायम करवाया है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 9 ने पूर्व में वादी को अपने झांसे में लेकर अपने मनमाफिक दावा डिक्री करवा लिया व अब बदयान्तिपूर्वक वादी के उक्त हक हिस्सा की भूमि से महरूम करना चाहता हैं। जिसका कोई अधिकार किसी किस्म का प्रतिवादी नम्बर 9 को नही हैं। चावली देवी व रामेश्वरी देवी का हिस्सा क्रमशः 93/1226 होना स्वीकार है किन्तु प्रतिदावा में अंकित नक्शा के अनुसार कब्जा सम्भलाया जाना नितान्त मिथ्या हैं न तो नजरी नक्शे में दर्शाये गये अनुसार प्रतिवादी नम्बर 9 काबिज है तथा न कभी चावली देवी व रामेश्वरी देवी काबिज रही। नजरी नक्शा न्यायालय को गुमराह कर वादी की भूमि को हड़पने के लिये अंकित किया है। वादी स्वयं प्रतिवादी दावा में संलग्न नजरी नक्शे अनुसार काबिज है। प्रतिदावा में अंकित तथ्य ग्यारसी देवी बनाम् छोटी देवी वगैरह आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में विचाराधीन होना स्वीकार है। खातेदार चावली देवी व रामेश्वरी देवी खसरा नम्बर 2904/689 व 2906/689 पर प्रतिवादी द्वारा बताये गये भू–भाग पर कभी काबिज नही रहे अपितु वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज है। कोस दावा प्रतिवादी नम्बर 9 द्वारा अपनी कुटिल इच्छाओ की पूर्ति हेतु वादी पर दबाव बनाने के लिये पेश किया गया हैं। जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 9 द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार विधिक विभाजन किया जाना विधि विरूद्ध है क्योंकि जब प्रतिवादी नम्बर 9 द्वारा बताये नजरी नक्शे के अनुसार काबिज ही नही तो व भू–भाग अपने नाम किस प्रकार विभाजन करवा सकता है। वादी के वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तकास्मा करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है एवं वादी कानूनन विधिक तकास्मा करवाने का अधिकारी है। इस कारण प्रतिवादी नम्बर 9 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) खारिज फरमाया जावे व वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विधिक तकास्मा किया जाकर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन वकील वादी द्वारा जवाब प्रतिदावा में किया है। जवाब प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) का वकील प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा जवाबुल जवाब पेश किये जाने की स्वीकृति चाही गई। जिस पर जवाबुल जवाब पेश किये जाने की स्वीकृति दी जाने पर वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब कॉस दावा का जवाबुल जवाब पेश किया जाकर अवगत कराया कि ग्राम श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 685 पुराने नम्बर रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 686 पुराने नम्बर रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 2904/689 रकबा 1.1494 हैक्टर पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कोई कब्जा नहीं रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कब्जा मात्र खसरा नम्बर 2906/689 रकबा 1.0766 हैक्टर में से रकबा 1.04 हैक्टर पर है। इस खसरा नम्बर 2906/689 के शेष रकबे 0.0366 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 9 का कब्जा है। वादी ने जिस बंटवारे के वाद शीर्षक छोटी देवी बनाम रामेश्वरी देवी वगै0 का जिक्र किया है। उसमें प्रतिवादी सं. 9 कोई पक्षकार नहीं है एंव ना ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के द्वारा प्रतिवादी सं. 9 के कहने से कब्जा हटाने का कोई कार्य ही किया है। उक्त वादग्रस्त भूमियों कुल किता 7 कुल रकबा 4.49 हैक्टर में से वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 व इनसे पूर्व इनके पूर्वजों का हिस्सा 1/4 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से अब तक चले आने तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 का कुल भूमि रकबा 4.49 हैक्टर में से हिस्सा 1/4 में 1.1225 हैक्टर भूमि आती है जबकि विधिक बंटवारें के निर्णय दिनांक 20.09.2021 से 1.1325 हैक्टर भूमि मिली है जो इनके हिस्से से 0.01 हैक्टर अधिक है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बंटवारे में मिली 1.1325 हैक्टर भूमि पर ही काबिज है। जिसमें से खातेदारों के आवागमन हेतु प्रयुक्त रास्तों के लिए भूमि रकबा 0.37 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा से रकबा 0.0925 हैक्टर भूमि सामूहिक रास्तों में आवागमन के काम आ रहा है। जिसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम अभिलेख में दर्ज होकर रकबा 1.04 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 2906/689 में प्रतिवादी संख्या 9 की भूमि रकबा 0.0366 हैक्टर छोड़कर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 काबिज है। प्रतिवादी सं. 9 अपने विक्रेती रामेश्वरी देवी का हिस्सा 93/1226 व दानकर्त्ता चावली देवी का हिस्सा 93/1226 विधिवत रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दस्तावेज से प्राप्त कर नामान्तकरण खुलवा कर खसरा नम्बर 2904/689 के सींवजोड़ व लगायत उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2901/688 की भूमि जहाँ विक्रेता व दानदाता पूर्व से काबिज थे उसी जगह पर प्रतिवादी सं. 9 काबिज है। प्रतिवादी संख्या 9 ने कॉस दावा की मद सं. 2 में वर्णित नजरी नक्शा अनुसार प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) को डिक्री फरमाये जाने का निवेदन अपने जवाबुल जवाब में किया है।

प्रकरण में वकील वादी ने वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से वादपत्र में वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के मध्य विधिक विभाजन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार करवाया जाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 9 का राजस्व रिकार्ड अलग–अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅंगवाये जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी संख्या 9 ने पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। वकील वादी के निवेदन व वकील प्रतिवादी संख्या 9 की सहमति के आधार पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅंगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.10.2022 को जारी की गई थी।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.10.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान** अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 2563/रीडर/2022 दिनांक 11.11.2022 व पुनः स्मरण पत्र कमांक 2082/रीडर/22 दिनांक 30.11.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 3101/भू.अ./2022 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी ने सहमती व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत एड0 एवं श्री अजय कुमार हरितवाल एड0 ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में बहस सुनी जाकर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए अपनी अनापत्ति पेश की है। वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात्, दावा, जवाब दावा, काउण्टर क्लेम व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अन्तिम व कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के दावे का अन्तिम निर्णय व डिक्री किया जाना उचित वादी व प्रतिवादीगण की सहमति एंव अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के पत्रावली में उपलब्ध होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

14/12/22

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(11)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 07.12.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

जमाबंदी राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर अनुसार राजस्व रिकार्ड				
काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे में)	किस्म	लगान (रू. में)
मनोहर लाल पुत्र लालूराम हिस्सा 520/1839 जाति मीणा	2904/689	0.1494	चाही1	04.31
श्रवणकुमार पुत्र लालूराम हिस्सा 520/1839 जाति मीणा	2906/689	1.0766	चाही1	25.28
अंजु पुत्री जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा			0.8766	
ग्यारसीदेवी पत्नि जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा			बारानी1	01.42
निर्दोषकुमार पुत्र जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा			0.20	
प्रदोषकुमार पुत्र जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा				
मंजु पुत्री जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा				
रणजीत पुत्र जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा				
संजीत पुत्र जयचंद हिस्सा 520/12873 जाति मीणा				
राम चन्द्र सिंह पुत्र सुखा राम हिस्सा 93/613 जाति जाट				
योग	2	1.2260		31.01

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

…तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विधिक विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रु. पै.)
	अंजु पुत्री जयचंद हिस्सा 2/21 ग्यारसी देवी पत्नि जयचंद हिस्सा 2/21 निर्दोष कुमार पुत्र जयचंद हिस्सा 2/21 प्रदोष कुमार पुत्र जयचंद हिस्सा 2/21 मंजु पुत्री जयचंद हिस्सा 2/21 रणजीत पुत्र जयचंद हिस्सा 2/21 संजीत पुत्र जयचंद हिस्सा 2/21 श्रवणकुमार पुत्र लालूराम हिस्सा 1/3 समस्त जाति मीणा	2906/689/3	0.52	चाही1 0.32 बारानी1 0.20	09.23 01.42
2	मनोहर लाल पुत्र लालूराम हिस्सा 2/3 श्रवणकुमार पुत्र लालूराम हिस्सा 1/3 समस्त जाति मीणा	2906/689/2	0.52	चाही1	14.99
3	राम चन्द्र सिंह पुत्र सुखा राम हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट	2906/689/1 2904/689	0.0366 [illegible]	चाही1 चाही1	01.06 04.31
					05.37
		योग 4	[illegible]		31.01

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 3101/भू.अ./22 दिनांक 07.12.2022 के द्वारा प्राप्त विविध विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.15 16:49:54 IST
Reason: SelfAttested